आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	सारण समाहरणालय, छपरा। **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 44/2011** **गजेन्द्र सिंह बनाम राज्य** **आदेश**	
30/12/2012	यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा, के आदेश दिनांक 1177 दिनांक 5/3/2011 को चुनौती देने के लिए दायर किया गया है। इस आदेश के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी ने अपीलकर्त्ता की जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति को कारणपृच्छा के उपरान्त रद्द कर दी। इस वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, ने दिनांक 30/1/2011 को अपीलकर्त्ता की दुकान की जाँच एक अनुमंडल स्तरीय जाँच दल के द्वारा कराई। जाँच के क्रम में दुकान बंद पायी गयी और उससे संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका समुचित रूप से संधारित नहीं पाए गए। साथ ही कई उपभोक्ताओं ने अनियमित वितरण के साथ-साथ अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 योजना के उपभोक्ताओं का वितरण नहीं होने की भी शिकायत की। फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विक्रेता से बिन्दुवार कारणपृच्छा की गयी और उनसे प्राप्त उत्तर की समीक्षा के बाद प्रश्नगत आदेश के द्वारा दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। अपीलकर्त्ता ने प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि यह आदेश तथ्यों के प्रतिकूल और वैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन में है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष दुकान बंद होने का कारण स्पष्ट करते हुए बताया था कि उसके अकस्मात् अस्वस्थ होने के कारण दुकान बंद पायी गयी थी और इसलिए दुकान के कागजात की जाँच निरीक्षण तिथि को नहीं की जा सकी थी। उन्होंने यह भी कहा कि उसकी दुकान से अन्त्योदय योजना के कार्डधारी संबद्ध ही नहीं थे। उनके द्वारा खाद्यान्न का वितरण नहीं करने का आरोप हास्यास्पद है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने स्पष्टीकरण के साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा किरासन तेल की भंडार पंजी एवं विक्रय पंजी की छायाप्रति संलग्न की थी। परिवादी सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ लोक अभियोजक द्वारा कहा कि प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार की वैधानिक अनियमितता नहीं है, क्योंकि	

आवेदक को अपनी बात कहने का समुचित अवसर दिया गया था और तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है।

दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निरीक्षण तिथि को अपीलकर्त्ता की दुकान उसकी अस्वस्थता के कारण बंद थी। अनुमंडल पदाधिकारी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। जहाँ तक सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका के समुचित संधारण का प्रश्न है, तो इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ये अधिष्ठापित तो थे, किन्तु समुचित रूप से संधारित नहीं थे। दुकान के बंद होने के कारण अभिलेखों की जाँच नहीं कर पाना स्पष्टतः स्वाभाविक है, किन्तु अपीलकर्त्ता ने बाद में माँगे गए अभिलेख उपलब्ध कराए हैं। यह भी स्पष्ट है कि जब अन्त्योदय योजना के लाभार्थी प्रश्नगत जन वितरण प्रणाली प्रतिष्ठान से नहीं जुड़े थे, तो उनके बीच खाद्यान्न के वितरण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि प्रश्नगत जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति को रद्द करने की विधि-मान्य आधार नहीं है। अतः प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।